WADA NA TODO

पांच साल का शासन और जनता का घोषणापत्र 2024

यह 'जनता का घोषणापत्र,' 'वादे और हकीकत: नागरिकों द्वारा एनडीए-II सरकार के चार साल से अधिक के कार्यकाल की समीक्षा' शीर्षक रिपोर्ट पर आधारित है। इसका मकसद शासन की स्थिति के बारे में नागरिकों के नजरिए को दर्ज करना और उसे प्रचारित करना है। साथ ही, हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है।

इस रिपोर्ट की जड़ें आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर स्थायी रूप से ध्यान केन्द्रित करने की हमारी आकांक्षा की मजबूती में निहित है। साथ ही, इसका विस्तार नागरिकों के लिए सिकुड़ते स्थान और विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों में व्याप्त चुनौतियों की प्रकृति के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता और आजाद रहने की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने तक भी किया गया है।

यह रिपोर्ट चार व्यापक विषयों - लोकतंत्र, विकास, शासन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति - पर आधारित है और इसका संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है।

लोकतंत्र की स्थिति

संसदीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करने पर कई गंभीर चिंताएं उभरकर सामने आती हैं। मसलन बिना बहस के विधेयकों का जल्दबाजी में पारित किया जाना, संसदीय समितियों की सीमित संलग्नता, संसद की बैठक के दिनों में कमी, सीमित बजटीय विचार-विमर्श, सांसदों की सूचनाओं (डेटा) तक सीमित पहुंच और आपराधिक रिकॉर्ड वाले निर्वाचित सदस्यों की बढ़ती मौजूदगी आदि। भारतीय संसद के 2023 के मानसून सत्र में, 22 विधेयक पारित किए गए। इनमें से 20 विधेयकों पर एक घंटे से भी कम चर्चा हुई और महत्वपूर्ण विधेयकों सहित 9 विधेयक तो लोकसभा में 20 मिनट के भीतर ही पारित हो गए।[i]

वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान, मात्र 18 घंटे ही वित्तीय मामलों को समर्पित किए गए थे। बजट पर आम चर्चा के लिए सिर्फ 16 घंटे आवंटित किए गए थे, जोकि पिछले बजट सत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम थी। पिछले बजट सत्रों में वित्तीय कार्यों पर औसतन 55 घंटे की चर्चा हुई थी।[i] पिछले सात वर्षों के दौरान, बजट का औसतन 79 हिस्सा बिना किसी पड़ताल या बहस के स्वीकृत किया गया है।[ii] वर्ष 2023 में सभी सरकारी मंत्रालयों के प्रस्तावित खर्च, जो कि 45 लाख करोड़ रुपये हैं, बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए।[iii] इसके अलावा 2023 के मानसून सत्र में, 25 में से केवल 3 विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा गया था, जोकि मात्र 17 प्रतिशत ही रेफरल दर है और पिछली तीन लोकसभाओं के 45 प्रतिशत के रेफरल दर से काफी कम है।[iv]

मीडिया की स्थिति की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि कैसे लोकतंत्र का यह खंभा व्यवसाय-उन्मुख हितों वाले लोगों द्वारा बढ़ते पूंजी निवेश, बढ़ती सांप्रदायिकता, सत्ता की आलोचना की सिकुड़ती जगह और 'हां में हां' नहीं मिलाने वाले पत्रकारों/मीडिया संगठनों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर खुद को टिकाए रखने के लिए जूझ रहा है। सरकारी विज्ञापन अनुबंधों पर बहुत अधिक भरोसा करने वाले मीडिया प्रतिष्ठान, व्यवसाय और संपादकीय फैसलों के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए केंद्र सरकार को अपनी कहानी का प्रचार करने के वास्ते प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया विज्ञापनों में सालाना 180 करोड़ रुपये (20.4 मिलियन यूरो) से अधिक का निवेश करने की इजाजत दे रहे हैं। हर साल अपने काम के सिलसिले में औसतन 4 पत्रकारों की हत्या के मद्देनजर भारत मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। मीडिया और प्रकाशन उद्योग में लोगों की संख्या 2016 में 10.3 लाख से घटकर 2021 में 2.3 लाख हो जाना स्पष्ट रूप से इन अहितकर रुझानों का प्रमाण है।

इसके अलावा, एक भयावह असर ने न सिर्फ पारंपरिक नागरिक समाज समूहों, बल्कि व्यापार, परोपकार, मीडिया, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को भी समान रूप से प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति छात्रों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, हास्य कलाकारों, तथ्यों की जांच करने वालों, प्रकाशकों और कई अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी मौलिक आजादी का इस्तेमाल करने के लिए कठोर कानूनों के तहत आरोप लगाए जाने के बाद पैदा हुई है।

सामाजिक न्याय और जलवायु संकट से जुड़े मुद्दों को हल करने में घरेलू नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के बजाय, इस देश में सीएसओ को खुद को नई, सख्त नियामक अनुपालन संबंधी जरूरतों से निपटने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा गया है। जबकि दुनिया भर में सरकारों ने अपने गैर-लाभकारी क्षेत्रों को महामारी के दौरान राजकोषीय सहायता और/ या कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किया। इसके साथ ही, प्रामाणिक डेटा हासिल करने की लड़ाई भी सीएसओ की नीतियों का विश्लेषण करने, कार्यक्रम डिजाइन करने, बहिष्कृत लोगों की हिमायत करने या प्रभाव का मूल्यांकन करने की क्षमता में बाधा बन रही है क्योंकि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना के निकट भविष्य में कराये जाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और अन्य डेटासेट को छुपाया या बदनाम किया जा रहा है।

विकास की स्थिति

भारत में एक दशक से अधिक समय से गरीबी के आधिकारिक आंकड़ों का अभाव है। लेकिन विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि महामारी के बाद से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। खासकर, हाशिए पर रहने वाले समूह के लोग इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। श्रम बाजार में आए संरचनात्मक बदलावों की वजह से आय में गिरावट, बचत में कमी और घरेलू कर्ज में इजाफा हुआ है – खासतौर पर, ग्रामीण इलाकों में गरीबी और खाद्य असुरक्षा पर खासा असर पड़ा है।

जीडीपी में मजबूत वृद्धि के बावजूद, भारत में जबरदस्त असमानता बनी हुई है। शीर्ष 10 फीसदी लोगों की झोली में राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी हिस्सा है और इनमें से भी सबसे ऊपर के एक फीसदी के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है। इसके उलट, राष्ट्रीय आय में नीचे के 50 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी घटकर 13 फीसदी रह गई है। समावेशी लोकतांत्रिक विकास, असमानता को बढ़ाने और हाशिये पर पड़ी आबादी को बाहर धकियाने के मद्देनजर वर्तमान विकास के प्रतिमान काफी कमजोर है।

देश को 2021-22 में महामारी से पहले 91,481 रुपये के कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, एक अनुत्तरदायी राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रणाली की वजह से सकल घरेलू उत्पाद के बनिस्बत ऋण के अनुपात में 59 फीसदी की बढ़ोतरी, घटते सार्वजनिक प्रावधान और लगभग 13 फीसदी की उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निजी निवेश, जोकि विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों में तेज गिरावट के साथ 2011 में सकल घरेलू उत्पाद के 31 फीसदी से घटकर 2020 में 22 फीसदी रह गया है। आर्थिक प्रगति के बावजूद, भारत की श्रमशक्ति कृषि की ओर बढ़ रही है और सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है, फिर भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कुल 70 फीसदी सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यमों (एमएसएमई), जो भारत के विकास में अहम् योगदान देने वाले हैं, का बंद हो जाना नीतिगत समर्थन की जरूरत पर भी प्रकाश डालता है।

बढ़ती गरीबी और असमानता ठोस सामाजिक सुरक्षा उपायों की एक आकस्मिक जरूरत भी पैदा करती है। लेकिन वर्तमान में जो मौजूद है वह पात्रता संबंधी मानदंडों (समावेशन और बहिष्करण), संचालनात्मक प्रक्रियाओं और विभिन्न विभागों, कल्याण बोर्डों और प्रकोष्ठों द्वारा प्रशासित लक्ष्य समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं का एक पैबंद है। आय की असमानता भुखमरी और पोषण की दयनीय स्थिति की ओर भी ले जा रही है। कुल 70 फीसदी आबादी पौष्टिक और स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ है। प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2,200 कैलोरी का सेवन करने में असमर्थ रहने वाली ग्रामीण आबादी का अनुपात 2011-12 में 68 फीसदी से तेजी से बढ़कर 77 फीसदी हो गया है।, भारत अब 121 देशों के विश्व भुखमरी सूचकांक में 107वें पायदान पर है।

सार्वजनिक संसाधनों को स्वास्थ्य सेवाओं की ओर मोड़ने की जरूरत के बावजूद, पीएम-जेएवाई के 75 फीसदी भुगतान निजी संस्थाओं को किए जाने के साथ सरकारी खजाने का मुंह निजी क्षेत्र के पक्ष में खोला जा रहा है। जहां 2020 में 46 फीसदी आबादी तक सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं पहुंची, वहीं बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच को लेकर भारी असमानताएं हैं। सबसे कम आय स्तर वाली 29 फीसदी आबादी की बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच थी, जबकि उच्चतम आय वाले समूह की पहुंच 96 फीसदी की थी।

देश भर में मात्र 25.5 फीसदी स्कूल ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के मानदंडों का अनुपालन करते हैं। यह अनुपालन दर 63.6 फीसदी (पंजाब) और 1.3 फीसदी (मेघालय) के बीच है। अन्य वजहों के अलावा महामारी और अपर्याप्त वित्तीय आवंटन के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रारंभिक समय-सीमा चूक गई है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच प्रति छात्र बजट में मात्र 750 रुपये की वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा के लिए राज्य की वित्तीय सहायता में लगातार कमी आई है। उच्च शिक्षा संस्थान भी बौद्धिक दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख विश्वविद्यालयों में खराब शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस सब के बावजूद, सरकारी कॉलेज लगातार प्रति कॉलेज के हिसाब ज्यादा संख्या में छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षा एवं कूटनीति बेहतर हुई है, लेकिन घरेलू स्तर पर अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना के शुरू होने के लगभग 15 वर्षों के बाद भी इसका कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है, जबकि हाल ही में पारित कानूनों और अधिसूचनाओं में 28 फीसदी वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के प्रावधान को हटाने के अलावा अन्य ऐसे बदलाव भी शामिल हैं, जो पर्यावरण को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा, भारत में उच्च व्यय वाले परिवार (शीर्ष 20 फीसदी) कम खर्च वाले परिवारों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और जलवायु परिवर्तन हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों और सूखे के कारण हाशिए पर रहने वाली जातियों के गरीब किसानों को प्रभावित करता है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति

इस अवधि में कोविड-19 महामारी और उसके बाद की स्थिति शामिल थी। इन दोनों का सबसे ज्यादा असंगत प्रभाव हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ा।

महामारी के दौरान जहां अभूतपूर्व पैमाने पर बच्चों द्वारा स्कूल की पढाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) के मामले दर्ज किए गए, वहीं 2022 में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकन दर फिर से महामारी-पूर्व के आंकड़ों के बराबर हो गई। हालांकि, सीखने की क्षमता में हुए नुकसान, पोषण के मामले में अंतर, बच्चों के खिलाफ व्यापक हिंसा और बाल श्रम एवं बाल विवाह के निरंतर मामलों से उत्पन्न चुनौतियों की आलोचनात्मक विश्लेषण के मद्देनजर बच्चों की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ इन चुनौतियों का युवा आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 20 फीसदी से अधिक युवाओं ने जेहन में आत्महत्या के विचार आने की सूचना दी है। भले ही आबादी के इस महत्वपूर्ण हिस्से को समर्थ बनाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा नीति 2021 इनके सामाजिक जुड़ाव के बहुत कम रास्ते सुझाती है। यह नीति तो उनके राजनीतिक जुड़ाव के लिए शायद ही कोई रास्ता

सुझाती है, जो विश्वविद्यालयों या स्थानीय सरकारों या व्यावसायिक संघों जैसे संस्थानों की पैतृक दृष्टिकोण से हटकर हो।

विकास की नीतियां बनाने के क्रम में मौलिक विचार प्रक्रिया को विकसित करने की जरूरत है। यही तर्क महिलाओं के संदर्भ में भी दिया जा सकता है क्योंकि भले ही "महिला सशक्तिकरण" पर समग्र ध्यान में ठोस तरीके से वृद्धि हुई है, लेकिन इस सशक्तिकरण को वेतन समानता, निर्णय लेने में स्वायत्तता, और सभी किस्म के पहचानों में महिलाओं के लिए आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में परिभाषित करने की निरंतर जरूरत है। यही एक समतापूर्ण समाज की दिशा में बढ़ने का एकमात्र तरीका है जो महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल संबंधी अवैतनिक कार्यों, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5 फीसदी के बराबर है, को मान्यता देता है और जो संभावित रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और बच्चों की देखभाल जैसे देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च के माध्यम से वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम है।

दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुदृढ़ता और अधिकारों के बारे में सरकार की ओर से बार-बार उल्लेख किए जाने के बावजूद, इन समुदायों के सशक्तिकरण की स्थिति और उपेक्षा की प्रणाली काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से संबंधित 347 मौतें दर्ज की गई हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में भेदभाव भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक हकीकत है। मुसलमानों के लगातार सामाजिक बहिष्कार की वजह से उनका आर्थिक पिछड़ापन निरंतर बना हुआ है – 31 फीसदी गरीबी रेखा से नीचे हैं। जहां उन्हें इस दलदल से बाहर लाने के लिए किसी भी निर्दिष्ट सरकारी नीति का अभाव है, वहीं समुदाय में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो गई है। इसकी पुष्टि 2014 से अबतक हुई गौरक्षकों की 206 घटनाओं से होती है और 2023 के मात्र नौ महीनों के दौरान ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 539 घटनाओं से इसके बढ़े हुए असर का पता चलता है। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटन में लगभग 75 फीसदी की कटौती का अनुभव किया।

हाल के वर्षों में कुछ प्रगतिशील कानून पारित करने के बावजूद, भारत ने 2019 और 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के अधिदेश को नवीनीकृत करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिससे इस समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे दौर से दिव्यांगता से संबंधित डेटा के संग्रह को हटाने के हालिया फैसले से दिव्यांगजनों के समावेशन की सरकार की प्रतिबद्धता भी संदेह के घेरे में है।

पुरुष कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी 2014-15 और 2021-22 के बीच एक फीसदी से भी कम बढ़ी; 2017-2022 के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा आत्महत्या करने का आंकड़ा लगभग 53,000 था। लगभग 100 छोटे किसान प्रति घंटे अपनी जमीन खो रहे हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा और कुप्रबंधित बीमा योजनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा रही हैं।

शहरी क्षेत्रों में, आवास और पानी एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता जैसी जरूरतों के अभाव की वजह से शहरी क्षेत्रों, जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है, में बहुआयामी गरीबी बढ़ रही है। पीएम आवास योजना के अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) घटक ने जहां 450 मिलियन की कुल चिन्हित प्रवासी आबादी के लिए ढाई साल में 6000 से भी कम आवासीय इकाइयां बनाईं, वहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्रवासी श्रमिकों की आबादी लगातार बढ़ी है।

शासन की स्थिति

जहां पिछले पांच केंद्रीय बजट देश में बढ़ती बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, कम उपभोग की मांग और बढ़ती असमानता की पृष्ठभूमि में पेश किए गए, वहीं प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया और अनुसूचित जाति, जनजातीय समुदायों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश की उपेक्षा की गई।
भारत में लगभग 80 फीसदी गैर-सरकारी संगठनों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत का योगदान करने और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसके बावजूद सरकार ने अक्सर विकास क्षेत्र को विकास में बाधा के रूप में देखा है।

भले ही भारत यूपीआई जैसी ई-गवर्नेंस पहल में अग्रणी है, लेकिन यह दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भी सबसे आगे है। वर्ष 2023 में, इंटरनेट सेवाओं को 44 बार निलंबित किया गया और इसके परिणामस्वरूप 2000 करोड़ रुपये (255.2 मिलियन डॉलर) से अधिक का नुकसान हुआ और 2,353 घंटों के डाउनटाइम से 4.32 करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। उभरते डेटा प्रशासन परिदृश्य में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के साथ तकनीकी प्रगति को संतुलित करना बहुत धीमी प्रगति को देखते हुए एक चुनौती है। नए डेटा संरक्षण विधेयक 2023 और डिजिटल इंडिया अधिनियम में डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ती निगरानी और खोखली सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जबकि 2021 में सरकारी सत्तावादी कार्रवाइयों की वजह से भारत की फ्रीडम हाउस रेटिंग भी 'मुक्त' से बदलकर 'आंशिक रूप से मुक्त' हो गई।

अगस्त 2023 में संसद में पेश की गई बारह कैग रिपोर्टों में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता चला। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने का एकमात्र प्रभावी तरीका सरकार और उसके पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए नागरिकों को उपयुक्त उपकरणों और संस्थानों के साथ सशक्त बनाना है। हालांकि, दुर्भाग्य से, वर्तमान सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड

पारदर्शिता और जवाबदेही के कानूनों एवं संस्थानों को लगातार कमजोर करने का रहा है।

सभी लोगों, विशेष रूप से सबसे ज्यादा हाशिए पर रहने वाले लोगों, के बुनियादी मानवाधिकारों पर निरंतर बहु-आयामी हमलों के साथ, पिछले पांच वर्षों में मानवाधिकारों की सोची-समझी पुनर्परिभाषा और जमीनी स्तर पर उसका दुरुपयोग और इससे जुड़ी अश्लीलतावादी चालबाजी सामने आई है। यह इशारा किसी भी तरह से अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य से जवाबदेही मांगने की लोगों की शक्ति के दायरे का विस्तार नहीं करता है - जो आदर्श रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए मुख्य आधार होना चाहिए।

निष्कर्ष

ये महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि विभिन्न संगठनों, अधिकार-आधारित अभियानों और गठबंधनों, शिक्षाविदों और व्यक्तियों सहित नागरिक समाज के उन सदस्यों की तरफ सामने से आ रही हैं, जिनके पास इस विषय पर काम करने का दशकों का अनुभव है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। यह रिपोर्ट शासन के जन-केंद्रित दृष्टिकोण और पेश आने वाली चुनौतियों से संबंधित एक सहयोगात्मक कार्य का प्रतिनिधि है। यह समग्र कार्य एक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक समावेशी संवाद की ओर ध्यान और चिंतन का पात्र है। हम इन चुनौतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को नागरिकों के दृष्टिकोण से विधिवत अवगत कराया जाएगा और सम्मान के साथ समानता की तलाश में आगे बढ़ाया जाएगा।

निम्नलिखित मांगें इस रिपोर्ट की अंतर्दृष्टि पर आधारित हैं और सभी क्षेत्रों में अधिकार-आधारित भाषा को कायम रखते हुए भारत के संवैधानिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने की तत्काल जरूरत को दर्शाती हैं और तमाम राजनीतिक दलों एवं भावी सरकार से व्यापक रूप से निम्नलिखित आह्वान करती हैं कि:

➔ हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समावेश सुनिश्चित करें
➔ एक पारदर्शी तंत्र के जरिए राज्य और प्रशासनिक कार्यकलापों की जवाबदेही सुनिश्चित करें
➔ सभी के मानवाधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा सुनिश्चित करें
➔ लोकतंत्र के अन्य स्तंभों: न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संबद्ध संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करें

पूरी रिपोर्ट *wadanatodo.net* पर

मांगे

शिक्षा

- यह सुनिश्चित करके शिक्षा के लिए पर्याप्त आवंटन करें कि यह जीडीपी के 6% से नीचे न जाए
- ईसीसीई, पूर्व-प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल करके बचपन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परिभाषा के अनुरूप आर टी ई (RTE) अधिनियम के दायरे को जन्म से 18 वर्ष तक बढ़ाएं
- शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण में वृद्धि को रोकें और फीस के विनियमन, गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन और निजी प्रावधान के विकास के माध्यम से सामाजिक अलगाव को संबोधित करने सहित एक राष्ट्रीय नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने, लागू करने और लागू करके निजी स्कूलों और ई सी सी ई (ECCE) केंद्रों की जवाबदेही लागू करें
- शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की समीक्षा एवं संशोधन करें
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी योजना, छात्रावास और कौशल विकास योजनाओं जैसी प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए बजट बढ़ाएं और प्राप्तकर्ताओं को समय पर नकदी का वितरण करें

खाद्य सुरक्षा और पोषण

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोटा को 2023 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर तुरंत विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि 67% आबादी राशन प्राप्त कर सकते हैं
- वास्तव में सभी गरीब और असुरक्षित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाए
- एनएफएसए (NFSA) के तहत विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करें
- अल्पपोषण और कुपोषण से निपटने के लिए भोजन में अंडे/समान रूप से प्रोटीन से भरे विकल्प को शामिल करें, केवल अनाज के बजाय दाल आदि को शामिल भी करें

स्वास्थ्य

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के व्यापक संदर्भ में "स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार" पर तुरंत कानून शुरू करें
- स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कम से कम 3% तक बढ़ाएं
- पीएमजेएवाई (PMJAY) जैसी योजनाएं जो सरकारी धन को निजी स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर निर्देशित कर रही हैं, को खारिज करदें, और इसके बजाय इन संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए करें
- मृत्यु रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करें; अभिलेखों और प्रमाणपत्रों के अधिकार सुनिश्चित करना; और, रुग्णता, मृत्यु दर और उपयोग पर लिंग, जाति के अलग-अलग डेटा का सार्वजनिक प्रसार सुनिश्चित करें

कृषि एवं किसान कल्याण

- सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देकर किसानों की आय बढ़ाई जानी चाहिए, जो किसानों को पूंजी की सभी इनपुट लागत और भूमि पर किराए को कवर करने के बाद कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न देती है
- इनपुट कीमतों को विनियमित करके, राज्य समर्थन को मजबूत करके और जबरन वसूली वाली निजी साहूकारी प्रथाओं पर अंकुश लगाकर कृषि ऋण का समाधान करें
- भूमि सुधार फिर से शुरू किया जाना चाहिए और भूमिहीन किसानों को सीलिंग से अधिक भूमि दी जानी चाहिए
- स्थिर ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए और रोजगार के अवसरों का विस्तार होना चाहिए

रोज़गार

- सभी हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सभी आर्थिक और अतिरिक्त-आर्थिक स्तरों पर बढ़ती असमानताओं और आय असमानता का मुकाबला करें
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा (MNREGA) में आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करें
- बढ़ते बाजार अवसरों में युवाओं के बीच उद्यमिता और स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने की दिशा में वित्तीय और क्षमता निर्माण संस्थानों तक सस्ती और समावेशी पहुंच के साथ-साथ उद्यमशीलता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र का विकास और निर्माण करें
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण, सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी (OBC, SC and ST) श्रेणियों की 1% सीटें सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले ट्रांस* समुदायों के लिए आरक्षित करें
- वेतन समानता, निर्णय लेने में स्वायत्तता में महिलाओं के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को साकार करें
- यह देखते हुए कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में बाधक है, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं जैसे निवारक और सुरक्षात्मक उपायों के तत्काल कार्यान्वयन और

पीओएसएच (POSH) अधिनियम पर संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करें

- अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए उनके युवाओं को कुशल बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आसान बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उचित योजनाएं अपनाई और कार्यान्वित की जानी चाहिए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों, सहयोगिनियों आदि और उनके श्रम के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करें

अर्थव्यवस्था

- सबसे अमीर 7% भारतीयों के लिए अधिभार में 1% की वृद्धि करके कॉर्पोरेट करों को 65% तक बढ़ाएं और राजस्व घाटे और असंग्रहीत करों से निपटने और सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करें
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों और व्यापारी को नियमित और स्थिर रोजगार सृजन और सभी को दी जाने वाली औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के साथ सक्षम बनाने के लिए नीतिगत समर्थन समर्पित करें
- न्यायसंगत और समावेशी लिंग संवेदनशील और निरंतर आजीविका के अवसरों को प्राथमिकता देने की तात्कालिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतियों को डिजाइन और संशोधित करें

सामाजिक सुरक्षा

- बजटीय सहायता और कवरेज के विस्तार के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी मौजूदा योजनाओं को मजबूत करें
- ईएसआई लाभ, ईपीएफ लाभ, मातृत्व लाभ और अन्य सभी आवश्यक मानव कल्याण लाभों सहित 'सामाजिक सुरक्षा स्तर' सुनिश्चित करें
- एक नागरिक के संपूर्ण जीवन-चक्र को शामिल करने वाली एकीकृत, सार्वभौमिक और अनुकूली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए एक स्पष्ट मानचित्र तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संशोधित संहिता
- केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक और वित्तीय संरचनाओं के बीच अतिव्यापी अधिकार के कारण कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संशोधित करें
- इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और इंटरनेट उपलब्धता से निरपेक्ष, नरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना

आजीविका

- शहरी गरीबी की बहुआयामीता को पहचानना: रोजगार और आय के अलावा, शहरी गरीबी अभाव के विभिन्न अन्य रूपों - आवास, बुनियादी सेवाओं (पानी, स्वच्छता), बुनियादी ढांचे (स्वास्थ्य, शिक्षा) और सामाजिक सुरक्षा की कमी से निकटता से जुड़ी हुई है। इस प्रकार, शहरी गरीबी के इन सभी आयामों से एक साथ निपटने की जरूरत है।
- 2013 योजना के तहत पुनर्वास अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वैकल्पिक आजीविका विकल्प, वित्तीय सहायता, आवास और मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा सहायता शामिल है
- शौचालयों के निर्माण के बजाय शौचालयों के उपयोग और उन्हें क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन बनाएं
- स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए ओडीएफ और ओडीएफ+ और अंत में ओडीएफ++ के लिए एसबीएम 2.0 के तहत समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता जैसे अभियानों को सुदृढ़ करना जारी रखें

न्याय

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले यूएपीए (UAPA) सहित आतंकवाद विरोधी कानूनों की समीक्षा करें और उन्हें निरस्त करें
- आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह के अपराध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक मानते हुए निरस्त करें
- सांप्रदायिक भेदभाव और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कानून संसद द्वारा पारित कर अधिनियमित किया जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार 'मॉब लिंचिंग' के खिलाफ एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए
- सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक लागू करें और एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित अल्पसंख्यक विरोधी कानूनों की समीक्षा करें और उन्हें निरस्त करें:
    - सीएए 2019 (CAA 2019);
    - सभी "धर्मांतरण विरोधी" कानून जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करते हैं

जलवायु परिवर्तन

- क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों और जलवायु जोखिमों के जोखिम पर विचार करते हुए, एससी और एसटी

आबादी, लिंग बजट और बाल बजट के अनुपात में डीएपीएससी-डीएपीएसटी (DAPSC-DAPST) के तहत जलवायु कार्यों के लिए बजट बढ़ाएं।

- एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित करें जो पूरी तरह से जलवायु कार्रवाई और नीति पर केंद्रित हो
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अद्यतन करें और जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद का पुनर्गठन करें
- जलवायु परिवर्तन पर सभी राज्य कार्य योजनाओं को उचित दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करें
- उचित मूल्य निर्धारण के साथ उत्पादन और विपणन बढ़ाने के उपायों के माध्यम से मछली पकड़ने, वन उपज जैसी पर्यावरण आधारित आजीविका के लिए समर्थन प्रदान करें

शासन

- प्रत्येक विधेयक की व्यापक चर्चा और समीक्षा के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं निर्धारित करें
- जटिल विधेयकों को गहन जांच के लिए तुरंत विपक्षी सदस्यों की अध्यक्षता वाली संसदीय समितियों के पास भेजें
- वार्षिक पंजीकरण के संदर्भ में गैर सरकारी संगठनों के लिए नियामक व्यवस्था को आसान बनाएं
- उप-अनुदान, प्रशासन व्यय सीमा और अन्य के संबंध में गैर सरकारी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों को वापस लें
- राष्ट्र निर्माण में स्वैच्छिक संगठनों के योगदान को पहचानें
- पेसा (PESA) को लागू करने के लिए एक सख्त राजनीतिक अभियान चलाएं और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ग्राम सभाओं को पर्याप्त शक्ति दें, साथ ही वन क्षेत्रों में पेसा और अन्य राज्य स्तरीय कानूनों के तहत अधिकारों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी आयोजित करें

पारदर्शिता

- 'वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नागरिकों का अधिकार विधेयक, 2011' (जीआर बिल) को फिर से पेश करें।
- 2014 में पारित व्हिसिल ब्लोअर्स (Whisteblowers) एक्ट को लागू करें
- लोकपाल और लोकायुक्तों को संचालन के दायरे, कार्यकाल और नियुक्तियों के प्रकार के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करें
- आरटीआई (RTI) अधिनियम के नियम 22 पर पुनर्विचार करें, जो प्रभावी रूप से सरकार को विभिन्न सूचना आयुक्तों के लिए अलग-अलग कार्यकाल तय करने की अनुमति देता है।
- 2019 में संसद में पेश किए गए आरटीआई अधिनियम में संशोधन पर पुनर्विचार करें जो केंद्र सरकार को देश के सभी आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तय करने का अधिकार देता है।
- डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 पर सार्थक सार्वजनिक परामर्श
- नए डिजिटल इंडियन अधिनियम में "सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत" को शामिल करें

समावेश

- आजीविका, जलवायु आदि मिशनों और योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकारी डेटा बिंदुओं से एससी और एसटी आबादी के लिए मानव विकास और अभावों पर जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करें
- पैतृक भूमि पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करें, और उन्हें बिना सहमति के खुदाई और अन्य गतिविधियों के लिए विस्थापित न करें
- लक्षित नीति सुधारों के लिए विकलांगता पर अलग-अलग डेटा पर ध्यान देने के साथ-साथ डेटा के सख्त संग्रह की आवश्यकता है।
- स्वच्छता कार्य के दौरान मल के साथ सभी सीधे मानव संपर्क को समाप्त करना
- निर्भया फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग करके लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए प्रणाली को पुनर्जीवित करें। यह फंड सभी प्रथम उत्तरदाताओं को लैंगिक संवेदनशीलता में प्रशिक्षित करने के लिए मिशन शक्ति का हिस्सा होना चाहिए
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में पहचानें और स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ इस मुद्दे और इसके समाधानों में तालमेल बनाएं
- केंद्रीय बजट का आवंटन (कुल बजट का 6 प्रतिशत तक) और बच्चों पर राज्य स्तर पर सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करें ताकि विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले बच्चों पर कोविड-19 के प्रभावों को संबोधित किया जा सके, देश में कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की दर में सुधार किया जा सके, नई एनईपी (NEP) 2020 को उसकी पूरी भावना के साथ लागू करें, और सभी बच्चों के लिए अपराध और हिंसा से मुक्त, स्वस्थ तरीके से बड़े होने के लिए सुरक्षित वातावरण और स्थान बनाएं
- युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण में कनिष्ठ साझेदारों के विपरीत समान साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए, और उन्हें सरकार के तीसरे स्तर - पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों से शुरू करके शासन संरचनाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए
- अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का बजट अनुसूचित जाति के बराबर किया जाना चाहिए जो जनसांख्यिकीय विशेषताओं में लगभग पूर्व के बराबर हों

- सच्चर समिति की छूटी हुई सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए जैसे कि अल्पसंख्यकों पर डेटाबैंक की स्थापना और देश में विविधता को बढ़ावा देना
- अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं को अनुकूल नीतियों और उचित वित्तीय सहायता द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए।

वादा ना तोड़ो अभियान हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों और आवाजों को प्रतिबिंबित करते हुए शासन की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए *2004* में *3000* से अधिक नागरिक समाज संगठनों द्वारा गठित एक अभियान है।